UPSB120003632000

न्यायालय Additional Civil Judge (Jr. Div.)/J.M., duddhi, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी – (Prashant Singh), (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP03696

Cri. Case/22/2005

मुकदमा संख्या – 22/2005,

मुकदमा अपराध संख्या 221/1990

अन्तर्गतधारा 458, 380 भा0दं0सं0

थाना विण्ढमगंज, जिला सोनभद्र।

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन

बनाम

1. हफीज पुत्र मुस्तफा उर्फ मुस्ताक निवासी ग्राम बलिया, थाना धुरकी, जिला पलामू (बिहार)।
2. कमरूद्दीन पुत्र इसाईल निवासी ग्राम बैरखड़, थाना विण्ढमगंज, जिला सोनभद्र।

..... अभियुक्तगण

– निर्णय :–

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद पुलिस थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण हफीज व कमरूद्दीन के विरूद्ध आरोप पत्र अं0धारा 458, 380 भा0दं0सं0 पर न्यायालय द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान पर आधारित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नरेन्द्र सिंह का कालीन का ब्रांच घिवही ग्राम में है इस नाम से जनता टेपीय हाऊस में, वह कार्यवाहक नरेन्द्र सिंह व मुलाम रसूल व अब्दुल समद तीनों आदमी इसी ब्रांच के उपर कार्य करता है। दिनांक 29.06.89 को रात्रि में करीब 10 बजे सभी व्यक्ति सोये हुए थे। अचानक 8 बदमाश मेरे चारपाई के नीचे से मकान की कुंजी लेकर ताले को खोल कर ऊन व साईकिल व घड़ी व तीनों आदमी का पूरा कपड़ा लेकर जाने लगे। इसी दौरान यह लोग जग गये एवं पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने मेरे एक साथी को घायल कर दिया और धमकी दी कि शोर मचाने पर गोली मार दूंगा। बदमाश रज्जब अली एंड संस (मंसूर

अंसारी) के ब्रांच के केवाल के यहां से भी फरद कालीन एवं 16632 रूपया एवं मोटर साईकिल की कुंजी भी उठा के गये मुल्जिमानों को टार्च की रोशनी में जाते समय देखा व पहचाना है, नाम नहीं जानते हैं सामने आने पर पहचान सकते हैं। चोरी गये माल को पहचान सकते हैं।

3. विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 458, 380 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और अपनी–अपनी जमानतें करायी। अभियुक्तगण की उपस्थिति पर उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.98 को धारा 458, 380 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–27.11.97 के अनुपालन में अभियुक्तगण हफीज व कमरूद्दीन की पत्रावली, मूल पत्रावली मुकदमा संख्या 1292/94 से पृथक की गयी।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से कागज संख्या–3अ/1 आरोप पत्र, कागज संख्या– 3अ/37 अभियुक्त कमरूद्दीन के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र, कागज संख्या–3अ/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट, कागज संख्या–3अ/4 प्रतिलिपि प्रमाणित तहरीर, कागज संख्या– 3अ/5 घटनास्थल की नक्शा नजरी व अन्य दस्तावेज दाखिल किये गये।

7. उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा अपने आरोपों के समर्थन साक्षी पी0डब्लू0– 01 हनीफ के अलावा अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि न्यायालय द्वारा अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। दिनांक 11.10.2023 को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया, परन्तु न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को अभियोजन द्वारा किसी साक्षी को परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा अभियोजन का साक्ष्य अवसर मामले की प्राचीनता व अभियोजन को दिये गये पर्याप्त अवसर को दृष्टिगत रखते हुए समाप्त कर पत्रावली धारा 313 दं0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी।

8. अभियुक्तगण हफीज व कमरूद्दीन का **बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 26.10.2023 को अंकित किया गया।** जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानांक से इंकार किया तथा साक्षी पी0डब्लू0– 01 के बयान को गलत होना कहा गया और सफाई साक्ष्य नहीं देना व कुछ नहीं कहना, का कथन किया है।

9. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

<u>न्यायालय का निष्कर्ष :–</u>

10. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक– 29.06.89 का समय करीब 10.00 बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम घिवही, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र में वादी नरेन्द्र सिंह की चारपाई के नीचे से मकान की कुंजी लेकर वादी मुकदमा के घर चोरी करने एवं विरोध किये जाने की स्थिति में उसे गम्भीर चोट पहुंचाने की तैयारी से मकान में घुसकर घड़ी, साईकिल व पहनने के कपड़े चुराने का आरोप है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

11. अभियोजन की ओर से आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0– 01 हनीफ** को परीक्षित कराया गया है। इस सक्षी ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि ''नागेन्द्र सिंह की कालीन का ब्रांच घिवही गांव में था। रात में करीब 10 बजे अज्ञात चोरों ने चोरी से ब्रान्च कार्यालय का ताला तोड़कर अन्दर से साईकिल, घड़ी, कालीन का उन और तीन आदमियों के कपड़े वगै0 चुराकर जा रहे थे नागेन्दर सिंह वगै0 ने देखा था और शोर मचाया था काफी कोशिश किया लेकिन माल और मुल्जिम कोई हाथ नहीं आया। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये इस बात की जानकारी हमको नागेन्दर सिंह और गुलाम रसूल से मिली थी। इस सम्बन्ध में मेरी मौजूदगी में कोई पंचायत नहीं हुई थी और न ही मेरे सामने अभियुक्त से माल बरामदगी के बारे में ही कोई बात–चीत हुई थी।'' अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया है।

12. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी पी0डब्लू0– 01 हनीफ ने कथन किया है कि *''मेरा दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। मेरा नाम गवाही के रूप में कैसे आ गया मैं नहीं बता सकता। मुझे चोरी की बातें नागेन्दर सिंह, गुलाम रसूल, अब्दुल समद ने कभी नहीं बताया था और न ही मैं घटनास्थल पर घटना के बाद गया था।''*

13. पत्रावली पर इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि दिनांक– 29.06.89 का समय करीब 10.00 बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम घिवही, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र में वादी नरेन्द्र सिंह की चारपाई के नीचे से मकान की कुंजी लेकर वादी मुकदमा के घर चोरी करने एवं विरोध किये जाने की स्थिति में उसे गम्भीर चोट पहुंचाने की तैयारी से मकान में घुसकर घड़ी, साईकिल व पहनने के कपड़े की चोरी की गयी। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के आरोप को अभियोजन सिद्ध कर पाने में असफल रहा है।

14. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। अतः अभियुक्तगण हफीज व कमरूद्दीन अन्तर्गत धारा 458, 380 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **हफीज व कमरूद्दीन** को मुकदमा संख्या– 22/2005, मु0अ0सं0 221/1990, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र में आरोप अन्तर्गतधारा 458, 380 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा–437ए द0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल बंधपत्र एवं प्रतिभू छः माह के लिये वैध रहेंगे तथा छः माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त वे स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

(प्रशान्त सिंह)
अपर सिविल जज(क0श्रे0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुद्धी, सोनभद्र।

दिनांक 08.08.2024

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करते हुए उद्घोषित किया गया।

(प्रशान्त सिंह)
अपर सिविल जज(क0श्रे0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुद्धी, सोनभद्र।

दिनांक 08.08.2024